रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112022-240454 CG-DL-E-22112022-240454

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5172] No. 5172] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2022/कार्तिक 30, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2022/KARTIKA 30, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

का.आ. 5400(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. ४८१० (E), तारीख २२ नवम्बर २०२१ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में NH51 के कि.मी. 338.4 से कि.मी.379.1 ( माधवपुर-पोरबंदर सेक्शन ऑफ NH-51 ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०३/१२/२०२१ " को "संदेश" और "द इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी

7719 GI/2022 (1)

## रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में NH51 के कि.मी. 338.4 से कि.मी.379.1 (माधवपुर-पोरबंदर सेक्शन ऑफ NH-51) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य	राज्य का नाम: गुजरात जिले का नाम: पोरबंदर							
क्रमि संख्य	क सर्वेक्षण संख्या T	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम			
1	2	3	4	5	6			
	तालुक का नाम	: पोरबंदर						
	गांव का नाम: ि	चेंगरिया						
1	48	निजी	एग्रिकल्चर	0.3694	मैर् भूरी हथिया, मैर् ज़ांज़ी हथिया, मैर् राजी हथिया, मैर् भर्मी हथिया, देवीबेन पोला डासा, विलबेन पोला डासा, रंभीबें पोला डासा, अर्जन पोला डासा, विंजाभाई पोला डासा, शांतिबेन पोला डासा ()			
2	59/P1	निजी	एग्रिकल्चर	0.4586	डासा रंभीबें पोला, डासा अर्जन पोला, डासा विंजाभाई पोला, डासा शांतिबेन पोला ()			
	गांव का नाम: गोर	व का नाम: गोरसर						
3	ट्रेभर्स पैकी स	रकारी	खराबो	0.0696	ट्रेभर्स पैकी ()			

	गांव का नाम: गोसा						
4	1831	निजी	एग्रिकल्चर	0.0329	सिनोई विट्ठलभाई मंगेशभाई ()		
5	1832	निजी	एग्रिकल्चर	0.0435	मैर् भारत लखांशी मोधवाड़िया, मैर् रणजीत लखांशी मोधवाड़िया ()		
6	1833	निजी	एग्रिकल्चर	0.0531	मैर् भारत लखांशी मोधवाड़िया, मैर् रणजीत लखांशी मोधवाड़िया ()		
7	1880/P1	निजी	एग्रिकल्चर	0.1114	रायचूरा शीतल भरतकुमार ()		
8	1890	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0755	हरदासभाई गंगाभाई मंडेरा, भूराभाई कर्षणभाई टिंबा ()		
9	1891	निजी	एग्रिकल्चर	0.1211	बाभा भीमगार हरीगर ()		
10	1892	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0796	मैर् सवदास खीमानंद आगत (1892/प्लाट् नो. 1)		
11	1892	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0121	मैर् सवदास खीमानंद आगत ()		
12	1892	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.014	मैर् सवदास खीमानंद आगत ()		
13	1892	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.016	मैर् सवदास खीमानंद आगत ()		
14	1892	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0179	मैर् सवदास खीमानंद आगत ()		
15	1892	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0161	मैर् सवदास खीमानंद आगत ()		
16	1892	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0093	मैर् सवदास खीमानंद आगत (1892 7.50 मीटर् रोड्)		
17	1894	निजी	एग्रिकल्चर	0.0334	भरविबेन नरोतमदास तन्ना ()		
18	1895	निजी	एग्रिकल्चर	0.0365	गोहेल सतीश कुर्जीभाई, गोहेल शैलेश कुर्जीभाई, देवदिया धीरजबेन केन्झी, गोहेल अल्पाबेन कुर्जीभाई ()		

19	1896	निजी	एग्रिकल्चर	0.0239	मैर् वेजाजी मेनन्दजी ओडेदार, मैर् रेखाबें वेजाजी ओडेदार ()		
20	1897	निजी	एग्रिकल्चर	0.0269	मैर् मेरामन राजा ()		
21	1898	निजी	एग्रिकल्चर	0.0271	लोहाना प्रीतिबेन गोकलदास ()		
22	1899	निजी	एग्रिकल्चर	0.0395	बाबूभाई कर्षणभाई बराड, राजनभाई हिरजीभाई सवसानी ()		
23	1901/P1	निजी	एग्रिकल्चर	0.0412	लखिबें देवदास आगत डबल्यू/ओ देवदास राजशी ओडेदार ()		
	गांव का नाम: मोचा						
24	2	निजी	एग्रिकल्चर	0.0397	मैर् जेठा पर्बत ()		
25	386	सरकारी	खरब	0.0844	गभर्मन्ट् खरब ()		
26	4	निजी	एग्रिकल्चर	0.0031	मैर् सरमान उका पार्मार् ()		
27	413	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0351	मैर् राजा भूरा ()		
28	413 (12.00 Meter Road)	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0081	मैर् राजा भूरा ()		
29	413 (COP Plot No. 1 & 2)	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0085	मैर् राजा भूरा ()		
30	5	सरकारी	खरब	0.1035	गभर्मन्ट् खरब ()		
31	9	निजी	एग्रिकल्चर	0.0327	रबारी डेय्ना वीर, रबारी भिखा वीर ()		
	गांव का नाम: रातिया						
32	1826	निजी	एग्रिकल्चर	0.4746	मैर् वीरम रामा, मैर् मेनन्द मुरू		

					()
33	कनेल्	सरकारी	कनेल्	0.0105	इरगेय्षन् डिपार्ट्मन्ट् ()
			कुल	2.5288	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2022

**S.O.** 5400(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4810(E), dated 22nd November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-51 on the stretch of land from Km 338.4 to Km 379.1 (Madhavpur-Porbandar Section of NH-51) in the district of PORBANDAR in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sandesh" and "The Indian Express" both dated 03/12/2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

#### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-51 in the stretch of land from Km. 338.4 to Km. 379.1 (Madhavpur-Porbandar Section of NH-51) in the district of PORBANDAR in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: PORBANDAR						
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.			
1	2	3	4	5	6			
	Taluk: Porband	Taluk: Porbandar						
	Village: Chinga	Village: Chingariya						
1	48	Private	Agriculture	0.3694	Mer Bhuri Hathiya, Mer Zanzi Hathiya, Mer Raji Hathiya, Mer Bharmi Hathiya, Deviben Pola Dasa, Valiben Pola Dasa, Rambhiben Pola Dasa, Arjan Pola Dasa, Vinzabhai Pola Dasa, Shantiben Pola Dasa			

	1				Dasa Deviben Pola, Dasa Valiben Pola,			
2	59/P1	Private	Agriculture	0.4586	Dasa Bevibeli Fola, Dasa Valibeli Fola, Dasa Rambhiben Pola, Dasa Arjan Pola, Dasa Vinzabhai Pola, Dasa Shantiben Pola			
	Village: Gorsar	11			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
3	Traverse Paiky	Government	Kharabo	0.0696	Traverse Paiky			
	Village: Gosa							
4	1831	Private	Agriculture	0.0329	Sinoi Vitthalbhai Mangeshbhai			
5	1832	Private	Agriculture	0.0435	Mer Bharat Lakhanshi Modhvadiya, Mer Ranjit Lakhanshi Modhvadiya			
6	1833	Private	Agriculture	0.0531	Mer Bharat Lakhanshi Modhvadiya, Mer Ranjit Lakhanshi Modhvadiya			
7	1880/P1	Private	Agriculture	0.1114	Raychura Sheetal Bharatkumar			
8	1890	Private	Non Agriculture	0.0755	Hardasbhai Gangabhai Mandera, Bhurabhai Karshanbhai Timba			
9	1891	Private	Agriculture	0.1211	Bava Bhimgar Harigar			
10	1892	Private	Non Agriculture	0.0796	Mer Savdas Kheemanand Aagath 1892/Plot No. 1			
11	1892	Private	Non Agriculture	0.0121	Mer Savdas Kheemanand Aagath 1892/Plot No. 2			
12	1892	Private	Non Agriculture	0.014	Mer Savdas Kheemanand Aagath 1892/Plot No. 3			
13	1892	Private	Non Agriculture	0.016	Mer Savdas Kheemanand Aagath 1892/Plot No. 25			
14	1892	Private	Non Agriculture	0.0179	Mer Savdas Kheemanand Aagath 1892/Plot No. 24			
15	1892	Private	Non Agriculture	0.0161	Mer Savdas Kheemanand Aagath 1892/Plot No. 23			
16	1892	Private	Non Agriculture	0.0093	Mer Savdas Kheemanand Aagath 1892 7.50 Meter Road			
17	1894	Private	Agriculture	0.0334	Bharviben Narotamdas Tanna			
18	1895	Private	Agriculture	0.0365	Gohel Satish Kurjibhai, Gohel Sailesh Kurjibhai, Devadiya Dhirajben Kanji, Gohel Alpaben Kurjibhai			
19	1896	Private	Agriculture	0.0239	Mer Vejaji Menandji Odedara, Mer Rekhaben Vejaji Odedara			
20	1897	Private	Agriculture	0.0269	Mer Meraman Raja			
21	1898	Private	Agriculture	0.0271	Lohana Pritiben Gokaldas			
22	1899	Private	Agriculture	0.0395	Babubhai Karshanbhai Barad, Rajenbhai Hirjibhai Savsani			
23	1901/P1	Private	Agriculture	0.0412	Lakhiben Devdas Aagath W/o Devdas Rajshi Odedara			
	Village: Mocha							
24	2	Private	Agriculture	0.0397	Mer Jetha Parbat			
25	386	Government	Kharaba	0.0844	Government Kharaba			
26	4	Private	Agriculture	0.0031	Mer Sarman Uka Parmar			
27	413	Private	Non	0.0351	Mer Raja Bhura			

			Agriculture				
28	413 (12.00 Meter Road)	Private	Non Agriculture	0.0081	Mer Raja Bhura		
29	413 (COP Plot No. 1 & 2)	Private	Non Agriculture	0.0085	Mer Raja Bhura		
30	5	Government	Kharaba	0.1035	Government Kharaba		
31	9	Private	Agriculture	0.0327	Rabari Dana Vira, Rabari Bhikha Vira		
	Village: Ratiya						
32	1826	Private	Agriculture	0.4746	Mer Viram Rama, Mer Menand Muru		
33	Canal	Government	Canal	0.0105	Irrigation Department		
			TOTAL	2.5288			

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/3D]
RAJESH GUPTA, Director